दिनांकः—15.01.2026 को अपर सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा हेतु नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभागार में आयोजित बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थितिः—पंजी के अनुसार।
2. सर्वप्रथम अपर सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित विभागों/निदेशालयों के नोडल पदाधिकारी, विभागीय अभियंताओं तथा बिहार अग्निशमन सेवा के अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

   उपस्थिति पंजी के अनुसार **शिक्षा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, निर्वाचन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार राज्य योजना पर्षद, समाज कल्याण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार लोक सेवा आयोग** के नोडल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे।

3. जिला अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विश्वेश्वरैया भवन में पम्प हाउस के पास Exhaust Fan नहीं है एवं पानी निकासी की व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण शत—प्रतिशत अनुपालन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलम्ब हो रही है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उपर्युक्त कार्य करा कर शत—प्रतिशत अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
4. जिला अग्निशमन पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि विश्वेश्वरैया भवन में अग्नि सुरक्षा से संबंधित NOC निर्गत करें यदि कोई कार्य करना है तो कार्यों को चिन्हित कर प्रतिवेदन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल—01 को उपलब्ध करायें ताकि शेष कार्यों को करा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके।
5. जिला अग्निशमन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी भवनों में Mock Drill का Roster बना कर Mock Drill कराया जाए।
6. अग्नि सुरक्षा हेतु नामित कर्मियों/पदाधिकारियों के अलावे सभी कर्मी एवं Housekeeping Staff को भी आग से बचाव के प्रति जागरूक करने हेतु सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया।
7. पूर्व के अग्नि सुरक्षा समीक्षा बैठक में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखत बिन्दुओं पर कार्य कराने का निदेश दिया गया :—

   (i) प्रत्येक तल पर QRT Team नामित करें।

   (ii) पर्याप्त मात्रा में Fire Extinguisher लगाएं।

   (iii) संध्याकाल के बाद एवं छुट्टी के दिनों में विभागों के अंदर पंखा/AC/लाईट को बंद करने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

   (iv) अपने—अपने विभाग के भवनों, गलियारों, कार्यालयों एवं सीढ़ी को अतिक्रमण मुक्त रखें।

   (v) विभाग में प्रत्येक तल पर अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी एवं अग्निशमन यंत्र चलाने वाले कर्मचारी का नाम एवं मोबाईल नं0 तथा अग्निशमन सेवा का दूरभाष नं0 प्रदर्शित करें।

   (vi) Fire Response Plan तैयार करें।

(vii) कर्मचारियों/पदाधिकारियों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिलायें।

उपलब्ध कराये गये जानकारी के अनुसार कुल–16 विभागों/निदेशालयों (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, सूचना जन संपर्क विभाग, संसदीय कार्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार राज्य योजना पर्षद, सामाज कल्याण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम) के द्वारा अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है।

8. अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवाद भवन में Pipe Line लगाने का कार्य अभी तक प्रारंभ नही हुआ है। इसके संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

9. सरदार पटेल भवन में कुड़ा–कचरा को हटाने हेतु, गृह विभाग के नोडल पदाधिकारी को संबंधित कार्यपालक अभियंता से विचार–विमर्श कर समस्या का निराकरण करने का निदेश दिया गया।

10. सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक तल पर नामित कर्मचारियों/पदाधिकारियों के दायित्वों को सौंपते हुए एक औपचारिक आदेश निर्गत करें।

11. विद्युत भवन में अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्यों का शतप्रतिशत अनुपालन करा लिया गया है। अग्नि सुरक्षा से संबंधित NOC प्राप्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

12. अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कुड़ा–कचड़ा की समस्या अभी तक बनी हुई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता ने बताया कि निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है, परन्तु जगह की कमी के कारण समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है।

13. भवनों की मूल संरचना/डिजाईन को भवन निर्माण विभाग की अनुमति से ही बदलने का निदेश दिया गया।

14. भारी विद्युत उपकरण यथा AC का अधिष्ठापन के पूर्व भवन निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

15. सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी अपने विभाग के अन्तर्गत भवनों का निरीक्षण करा कर Fire Hazard Point चिन्हित करें एवं रास्ते पर पड़ी सामग्रियों को हटा कर रास्ते को बाधा मुक्त रखें।

16. सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी तथा सभी भवनों के अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर अपने विभाग में प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार मॉक–ड्रिल आयोजित करने हेतु निदेशित किया गया।

17. पूर्व के समीक्षा बैठक में जिला अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुझाव दिया गया कि CO_2 पोर्टेबल Fire Extinguisher को बाहर धूप में नहीं रखें क्योकि उसमें ठोस CO_2 रहता है जिसके कारण उसमें ब्लास्ट हो सकता है।

18. सभी नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Fire Hydrant से संबद्ध UG Tank के पानी से सफाई/बागवानी कार्य कराये ताकि UG Tank का पानी खाली हो सके एवं मोटर पम्प चलता रहे।

19. संरचना प्रमंडल संख्या–03, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभिन्न भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित वृहत कार्य कराया जा रहा है। जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत है:–

	योजना का नाम	कार्य समाप्ति की तिथि	प्रतिशत
1.	सिंचाई भवन पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन कार्य	02.01.2025	100
2.	विश्वेश्वरैया भवन, टेक्नोलॉजी भवन एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण भवन परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	100
3.	विकास भवन, पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	80
4.	मुख्य सचिवालय(पुराना सचिवालय) पटना, परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	60

विकास भवन तथा मुख्य सचिवालय में कराये जा रहे अग्नि सुरक्षा से संबंधित वृहत कार्य धीमी गति से हो रही है। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–03 को उक्त भवनों में कार्य में तेजी लाने तथा ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
अपर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–भवन/भू–सम्पदा–प्र0–09–08(विविध)–18/2023 727(अ) पटना, दिनांक– 21/1/26

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निमार्ण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन पदाधिकारी(अग्नि सुरक्षा), सभी विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/मुख्य अभियंता (विद्युत)/ अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/विद्युत अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–01 एवं 3/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमण्डल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0–01, 02, 03 एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

21/01/2026

अपर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।